Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 20/2023

Bipin Chandra Mandal ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.12.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–180 / स्था0 दिनांक–09.02.2013 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 23999/2013 में दिनांक–05.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी समाज कल्याण विभाग, कटिहार में लेखा लिपिक के पद पर पदस्थापित होते हुए कार्य का संचालन निष्ठापूर्वक कर रहे थे। दिनांक–01.10.1999 को उन्हें प्रखंड विकास कार्यालय, आजमनगर में प्रतिनियुक्त किया गया। जहाँ इन्हें प्रखंड कार्यालय के नाजीर के कार्यों का दायित्व सौंपा गया। इनके द्वारा उक्त प्रखंड में पंचायत निर्वाचन के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, आजमनगर के आदेशानुसार विभिन्न बैंकों से राशि की निकासी की गई किन्तु सभी राशि व्यय नहीं हो सकी। फलतः शेष राशि नजारत में सुरक्षित रखी गई थी। उक्त के आलोक में अपीलार्थी से पत्रांक–1943 दिनांक–04.11.2006 द्वारा कारण–पृच्छा की माँग की गई। उक्त के आलोक में दिनांक–05.01.2007 को उप समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में इन्हें वर्त्तमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर रखने का दंड संसूचित किया गया। दिनांक–26.03.2007 को इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था। विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उप समाहर्त्ता, स्थापना के पत्रांक–1288 दिनांक–18.09.2008 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए प्रखंड कार्यालय, फलका में योगदान का आदेश दिया गया। इनके द्वारा उक्त कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई। समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा को नजरअंदाज करते हुए	

Web copy. Not Official.

		जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा इन्हें वर्त्तमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर रखने का दंड संसूचित किया गया जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। क्रमशः	
	लगातार 30.12.2023	इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए कुल चार आरोप प्रतिवेदित किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा नगद रूप से अव्यवहृत राशि दर्शाते हुए यथा, भारतीय स्टेट बैंक, सालमारी में 4,00,000/– एवं सेन्ट्रल बैंक, आजमनगर में 9,41,081/– कुल–13,41,081/– रूपये का अव्यवहृत राशि पाया गया जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में किसी भी साक्षी का परीक्षण अथवा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया और ना ही किसी दस्तावेजीय साक्ष्य को ''प्रदर्श'' (Exhibit) किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रथम आरोप के संबंध में यह कहते हुए प्रमाणित प्रतिवेदित किया है कि इस मामले में अकेले नाजीर (अपीलार्थी) नहीं बल्कि सत्यापन करनेवाले सभी कर्मी दोषी प्रतीत होते हैं तथा शेष तीन आरोपों को इनके विरूद्ध प्रमाणित नहीं पाये जाने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि विभागीय जाँच के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उन्होंने उक्त राशि के संबंध में गबन अथवा वित्तीय अनियमितता का उल्लेख नहीं किया है। बल्कि इसे मात्र (Deficient of Cash Management) का मामला बताया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच के दौरान कम–से–कम लेखापाल एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण कराया जाना अनिवार्य था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, आजमनगर के विरूद्ध भी यह आरोप परावर्त्तित (Reflect) पाया गया है। फलतः उन्हें प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया जाना विभागीय निदेशों के सर्वथा प्रतिकूल है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्यों से मात्र सहमत होते हुए अपना कोई वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष धारित किये बिना पारित दंडादेश न्यायोचित नहीं है। ज्ञात है कि अपीलार्थी लेखा लिपिक के रूप में कार्यरत थे। इन्हें नाजीर के कर्त्तव्यों का विशेष अनुभव नहीं था। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए अन्य संबंधित कर्मियों से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। पंचायत निर्वाचन के कार्य को प्राथमिकता देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के मौखिक आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा राशि की निकासी की गई ताकि निर्वाचन कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जा सके। निर्वाचन पश्चात् अव्यवहृत राशि का अपीलार्थी द्वारा दुरूपयोग/दुर्विनियोग नहीं किया गया है जिसे संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में भी माना है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा राशि का कोई गबन नहीं किया गया है बल्कि खाते में पुनः जमा कर दी गई। उल्लेखनीय है कि नजारत के प्रत्येक रोकड़ की सभी	

Web copy. Not Official.

		प्रविष्टियों के सत्यापन की जबावदेही लेखापाल सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी समान रूप से होती है। अकेले अपीलार्थी को आरोपित ठहराया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। सभी Backup का सत्यापन लेखापाल एवं पदाधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् ही इन्होंने प्रभार सौंपा है। इस प्रकार क्रमशः	
	लगातार 30.12.2023	अन्य आरोप पूर्णतः असत्य एवं निराधार है जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है। जिला पदाधिकारी, कटिहार–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित दंड विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–18.10.2023 को हस्ताक्षरित मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि श्री विपिन चन्द्र मंडल, लेखा लिपिक–सह–प्रखंड नाजीर, आजमनगर के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, आजमनगर ने पत्रांक–2054 दिनांक–28.11.2006 द्वारा प्रतिवेदित किया कि अपीलार्थी का हस्तांतरण सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार में होने के फलस्वरूप इनके प्रति स्थानीय श्री विश्वनाथ मिश्र, सहायक को प्रखंड नजारत का आंशिक प्रभार दिनांक–28.09.2006 को सौंपा गया। जिसमें पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सालमारी एवं सेन्ट्रल बैंक शाखा, आजमनगर में श्री मंडल द्वारा मो0–12,00,000/– रूपये चेक पंजी में अव्यवहृत राशि दर्शाते हुए जमा किया गया है। फलतः स्थिति स्पष्ट करने हेतु श्री मंडल को कार्यालय ज्ञापांक–1747 दिनांक–04.10.2006 द्वारा उपरोक्त राशि किस मद का तथा किसके आदेश से नजारत में रखी हुई थी, पूछे जाने पर कोई जबाव नहीं मिला। सेन्ट्रल बैंक का खाता वर्त्तमान नाजीर द्वारा अद्यतन कराये जाने पर 1,41,081 /– रूपये की कमी पाई गई। जिसके आलोक में उनके द्वारा कमी राशि संबंधित बैंक खातों जमा कर दी गई। इस संबंध में पूछे जाने पर अपीलार्थी द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। संयुक्त खाता से कुल–10,00,000/– रूपये की निकासी की गई जिसे चेक पंजी में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार अन्य राशि की भी प्रविष्टि सही समय पर नहीं करना पाया गया है। विभागीय कार्यवाही में हो रहे विलंब को ध्यान में रखते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए प्रखंड कार्यालय, फलका में पदस्थापित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक–630 दिनांक–18.08.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लेखापाल एवं नाजीर द्वारा वित्तीय निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। इस तरह से प्रस्तुत मामला (Deficient of Cash Management) का प्रतिवेदित किया गया है और अन्य आरोप प्रमाणित नहीं होना प्रतिवेदित है। उक्त के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–180 दिनांक–09.02.2013 द्वारा इन्हें उक्त दंड अधिरोपित किया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील आवेदन अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है।	

Web copy. Not Official.

	लगातार 30.12.2023	उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल चार आरोपों में मात्र प्रथम आरोप में संचालन पदाधिकारी ने जाँच में पाया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लेखापाल एवं नाजीर द्वारा वित्तीय निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है और इस तरह से (Different of Cash Management) का मामला प्रतीत होता है क्रमशः जिसमें अकेला नाजीर नहीं बल्कि कैशबुक सत्यापन करनेवाले सभी दोषी प्रतीत होते हैं। आरोप सं0–02 एवं 03 के संबंध में प्रतिवेदित है कि रोकड़ पंजी में ब्रेकअप का सत्यापन विधिवत् लेखापाल/पदाधिकारी द्वारा भी किया जाता रहा है। ऐसे काल्पनिक ब्रेकअप का कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया है। फलतः आरोप सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार आरोप सं0–04 पंजी का प्रभार भी सौंप दिया जाना पाते हुए इस आरोप को भी प्रमाणित नहीं पाया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध सरकारी राशि के दुर्विनियोग का कोई आरोप नहीं है। जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना सम्यक् विचार किये दंडादेश पारित किया गया है जो समानुपातिक प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पारित दंडादेश ज्ञापांक–180/स्था0 दिनांक–09.02.2013 को समानुपातिक, विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी का एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करते हुए जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पारित आदेश के पूर्व धारित वेतनमान पर पुनः बहाल करने का आदेश संसूचित किया जाता है। तदनुरूप वेतन एवं भत्ता देय होगा। अपील आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web copy. Not Official.

Web copy. Not Official.